संख्या– पी–146 / 14–2–17–800(161) / 2018

प्रेषक,

डा0 दीपक कोहली,
अनु सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक,
नोडल अधिकारी,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ

वन एवं वन्य जीव अनुभाग–2 लखनऊ: दिनांक 23 अप्रैल, 2018

विषयः– रिलायंस 4 जी परियोजना हेतु ओबरा वन प्रभाग की कुल 0.2901 हे0 आरक्षित वनभूमि में बिना वृक्ष पातन के भूमिगत आप्टिकल फाइबर केबिल (ओ0एफ0सी0) बिछाये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कृपया अपने पत्र संख्या–1528 / 11–सी / एफपी / यूपी / अदर्स / 24318 / 2017, दिनांक 23.11.2017 का संदर्भ ग्रहण करें, जिसके माध्यम से विषयगत प्रकरण में अनुमति प्रदान किये जाने की अपेक्षा की गयी है।

2– इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि परियोजना में आरक्षित वनभूमि का गैर वानिकी प्रयोग किया जाना प्रस्तावित है, अतएव वन अनुभाग–2 के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 19.07.1999 के प्रस्तर–1(3) में विहित व्यवस्थाक्रम से आच्छादित है। इस प्रकार प्रयोक्ता एजेंसी से यह प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाना अपेक्षित है :–

प्रस्तावित आरक्षित वनभूमि का जिलाधिकारी से मूल्य निश्चित कराकर मूल्य के बराबर प्रीमियम (वनभूमि का मूल्य) और प्रीमियम का 10 प्रतिशत वार्षिक लीज रेण्ट वन विभाग के पक्ष में भुगतान किया जायेगा।

कृपया तद्नुसार विषयगत प्रकरण में अग्रेतर कार्यवाही करने तत्क्रम में प्रमाण पत्र शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

भवदीय

(डा0 दीपक कोहली)
अनु सचिव

कार्यालय, मुख्य वन संरक्षक / नोडल अधिकारी, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पत्रांक–1005 / 11–सी–FP/UP/ Others/24318/2017, लखनऊ, दिनांक: अप्रैल 25, 2018

प्रतिलिपि– मुख्य वन संरक्षक, मीरजापुर क्षेत्र, मीरजापुर को इस आशय से प्रेषित कि उ0प्र0 शासन द्वारा वांछित सूचना / प्रमाण पत्र इस कार्यालय को दो प्रतियों में प्रेषित करने का कष्ट करें।

प्रतिलिपि– प्रभागीय वनाधिकारी, ओबरा वन प्रभाग, ओबरा को इस आशय से प्रेषित कि उ0प्र0 शासन द्वारा वांछित सूचना / प्रमाण पत्र इस कार्यालय को मुख्य वन संरक्षक के माध्यम से दो प्रतियों में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

प्रतिलिपि– प्रबन्धक, रिलायन्स जियो इन्फोकॉम लि0, रोहतास के टेरिडेन्ट सेकेण्ड फ्लोर, 10 राणाप्रताप मार्ग, लखनऊ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(डा0 प्रशान्त कुमार वर्मा)
मुख्य वन संरक्षक / नोडल अधिकारी,
उ0प्र0, लखनऊ।